स्टाफ परिपत्र सं: 103366-2026 06 नवम्बर, 2026

प्रति: सभी शाखाएं/कार्यालय.

स्टाफ पेंशनभोगी – वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निवेश प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु वार्षिक निवेश घोषणा को पुन: खोलना

1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कर्मचारी पेंशनभोगियों द्वारा निवेश घोषणा करने के संबंध में शाखाओं/कार्यालयों का ध्यान स्टाफ परिपत्र संख्या 102058-2026 दिनांक 01.04.2026 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. यूनियन परिवार (Union Parivar) में, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए निवेश घोषणा पृष्ठ "SAVED" की स्थिति में उपलब्ध कराया गया है, जिन्होंने दिनांक 01.04.2026 से 31.10.2026 की अवधि के दौरान **पुरानी कर प्रणाली** के तहत इसे जमा किया था। इससे पेंशनभोगी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक निवेश के अनुसार निवेश विवरण में संशोधन कर सकेंगे।

3. जिन स्टाफ पेंशनभोगियों ने "पुरानी कर प्रणाली" के तहत निवेश घोषणा जमा की थी, उनसे अनुरोध है कि वे निवेश घोषणा में आवश्यक सुधार/संशोधन करें, निवेश के प्रमाण अपलोड करें, निवेश घोषणा पृष्ठ पर "SAVE" और "SUBMIT" पर क्लिक करें और वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कर गणना के लिए इस प्रकार के निवेश को शामिल कराने के लिए निवेश के प्रमाण जमा करके संबंधित शाखा से "अनुमोदन" (Approval) प्राप्त करें. यह मॉड्यूल डेस्कटॉप के साथ-साथ मोबाइल एप्लिकेशन पर भी उपलब्ध है।

4. पेंशनभोगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी नजदीकी शाखा में निवेश के प्रमाण जमा कर सकते हैं (यह आवश्यक नहीं है कि प्रमाण केवल पेंशन खाता वाली शाखा में ही जमा किए जाएं)।

5. संबंधित शाखा के शाखा प्रबंधक/उप शाखा प्रबंधक निवेश के आवश्यक प्रमाण प्राप्त करने और और उसके सत्यापन के बाद यूनियन परिवार में इसे अनुमोदित करेंगे। पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत निवेश प्रमाणों को भविष्य के संदर्भ के लिए पेंशनभोगी की शाखा/पेंशन फाइल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

6. घोषणा तक पहुंचने और अनुमोदन करने की नेविगेशन प्रक्रिया इस प्रकार है:
   a. Main Menu → Employee Self Service → Payroll → Investment Declaration → Investment Declaration Retiree

7. कृपया ध्यान दें कि जो स्टाफ पेंशनभोगी दिनांक 01.04.2026 से 30.11.2026 के बीच वर्तमान वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त हुए हैं या होने वाले हैं, उन्हें नवीन निवेश घोषणा रिटायरी मॉड्यूल में प्रस्तुत करनी होगी और ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में निवेश की गणना पर विचार नहीं किया जाएगा तथा आयक अधिनियम के तहत कर देयता बन सकती है।

8. दिनांक 01.12.2026 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए, एक सक्रिय कर्मचारी के रूप में यूनियन परिवार में निवेश प्रमाणों के साथ प्रस्तुत निवेश घोषणाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कर गणना के लिए शामिल किया जाएगा।

9. शाखाओं/कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शाखा के प्रत्येक स्टाफ पेंशनभोगियों से संपर्क करें और दिनांक 15.01.2027 तक निवेश प्रमाण जमा कराना सुनिश्चित करने हेतु स्टाफ पेंशनभोगियों को आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।

10. नवंबर-2026 और दिसंबर-2026 के महीने के लिए, निवेश घोषणाएँ जिन्हें "SAVED" स्थिति में वापस कर दिया गया है उन्हें भी कर देयता (टीडीएस) गणना में शामिल किया जाएगा।

11. कृपया ध्यान दें कि जनवरी 2027 से केवल ऐसी निवेश घोषणाओं जिन्हें यूनियन परिवार में पुरानी कर प्रणाली के अनुसार "अनुमोदित" किया गया है उन्हीं को वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आगामी महीनों हेतु टीडीएस गणना के लिए शामिल किया जाएगा. अन्य सभी मामलों के लिए टीडीएस की गणना नई कर प्रणाली के अनुसार की जाएगी।

12. यूनियन परिवार में निवेश की जानकारी जमा न करने/गलत जानकारी दर्ज करने के परिणामस्वरूप टीडीएस की गलत कटौती होगी। अत: पेंशनभोगियों/शाखाओं को सलाह दी जाती है कि वे यूनियन परिवार में निवेश विवरण ध्यानपूर्वक दर्ज करें।

13. सभी शाखाओं/कार्यालयों से अनुरोध है कि वे अनुपालन के लिए इस परिपत्र की विषय-वस्तु को ध्यानपूर्वक नोट करें और स्टाफ पेंशनभोगियों के बीच व्यापक रूप से प्रचारित करें। शाखाएं/कार्यालय हमारे वरिष्ठ सदस्यों को उचित डेटा प्रविष्टि में पूर्ण सहयोग प्रदान करें, जिससे वे अपनी कर देयताओं का प्रभावी प्रबंधन कर सकें।

(माधवी वल्लूरु)
महाप्रबंधक

Staff Circular No: 103366-2026 November 06,2026

To: All Branches/Offices.

Staff Pensioners – Reopening of Investment Declaration for FY 2026-27, for submission of Investment Proof

1. Attention of branches/offices is invited to Staff Circular No. 102058-2026 dated 01.04.2026 regarding submission of investment declaration by staff pensioners for the FY 2026-27.

2. In Union Parivar, the Investment Declaration page for such retirees who have submitted the same **under old tax regime** during the period from 01.04.2026 to 31.10.2026 has been made available in "SAVED" status, to enable the pensioners to make modification in investment details, as per the actual investments for the FY 2026-27.

3. Staff pensioners who had submitted investment declaration under the "OLD TAX REGIME" are requested to make the necessary corrections/ modifications in the Investment Declaration, Upload the proof of the investments, click "SAVE" & "SUBMIT" the Investment Declaration page and get the same "APPROVED" from concerned Branch by submitting the proof of investment, for consideration of such investment for tax calculations for FY 2026-27. The module is available on Desktop as well as Mobile application.

4. The pensioners shall submit the proofs of investments at any branch of Union Bank of India (not necessarily with the branch maintaining Pension Account).

5. The Branch Manager / DBM of the concerned branch shall approve the same in Union Parivar after obtaining & verification of the necessary proofs of investments. The proof of investments submitted by the Pensioner should be kept in the branch/Pension file of the pensioner for future reference.

6. Navigation for accessing/approving the declaration is as under:
   a. Main Menu → Employee Self Service → Payroll → Investment Declaration → Investment Declaration Retiree

7. Please note that staff pensioners who have retired or will retire during the Current Financial Year from 01.04.2026 to 30.11.2026 are required to submit their Investment Declarations afresh (in retiree module) and follow the process as stated above, failing which the investments shall not be considered for calculation and may attract tax deduction.

8. For employees who are retiring after 01.12.2026, the Investment Declarations submitted along with Investment Proofs in Union Parivar as an active employee, shall be considered for the tax calculations for FY 2026-27.

9. Branches/offices are advised to contact every Staff Pensioners of their Branch and help and guide them to ensure submission of Investment proof, latest by 15.01.2027.

10. For the month of November-2026 and December-2026, the investment declarations that have been reverted to "SAVED" status shall also be considered for TDS calculations.

11. Please note that effective from January 2027 onwards only those Investment Declarations which have been "Approved" as per old tax regime in Union Parivar shall only be considered for TDS calculations for the ensuing months of FY 2026-2027.For all other cases the TDS will be calculated as per new tax regime.

12. Non-submission/wrong feeding of investment information in Union Parivar shall result in incorrect deduction of TDS. Hence pensioners/branches are advised to be careful while entering the investment details in Union Parivar.

13. All branches/offices are requested to take a note of this circular for compliance and give wide publicity amongst the staff pensioners. The Branches/offices should extend full support to our senior members in proper submission of data and enable them to manage their tax liabilities effectively.

Madhavi Bk

(Madhavi Valluru)
General Manager